

प्रश्नक

कुलसचिव

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।

सेवा में

प्रबन्धक/प्राचार्य

कमला पाण्डेय महाविद्यालय, बिलारी भीटी (गौरा गोसाई), बस्ती।

विषय- कमला पाण्डेय महाविद्यालय, बिलारी भीटी (गौरा गोसाई), बस्ती को स्नातक स्तर पर कला संकाय हिन्दी, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, मध्यकालीन इतिहास एवं गृहविज्ञान विषयों में तथा वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी०काम० पाठ्यक्रम में सम्बद्धता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि माननीय कार्यपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अधिनियम 2014) की धारा 37(2) के अधीन कमला पाण्डेय महाविद्यालय, बिलारी भीटी (गौरा गोसाई), बस्ती को स्नातक स्तर पर कला संकाय हिन्दी, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, मध्यकालीन इतिहास एवं गृहविज्ञान विषयों में तथा वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी०काम० पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत दिनांक 01.07.2015 से आगामी तीन वर्षों हेतु अस्थायी सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि महाविद्यालय द्वारा याचित विषयों/पाठ्यक्रमों में शिक्षकों का अनुमोदन दिनांक 30 जून, 2015 तक विश्वविद्यालय से करा लिया जायेगा अन्यथा की स्थिति में, याचित विषयों/पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं लिया जायेगा तथा प्रदान की गयी सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

1. महाविद्यालय, सम्बद्धता समिति द्वारा इंगित कमियों यथा- प्राचार्य, शिक्षक एवं प्रबन्ध समिति अनुमोदित नहीं है को विश्वविद्यालय में दिनांक 30 जून, 2015 तक प्रस्तुत किया जायेगा। तत्पश्चात महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय से कक्षा संचालन की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में लिया गया छात्रों का प्रवेश अवैध माना जायेगा।
2. महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य/प्रबन्धकों को कार्यभार ग्रहण करा कर नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र एवं संविदा पत्र विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा तथा इनका बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 एवं शासनादेश संख्या 4108/सत्तर-2-2007-2(494)/2007 दिनांक 17.10.2007 तथा शासनादेश संख्या 2112/सत्तर-2-2008-2(494)/2007 दिनांक 09 मई, 2008 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों का अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालय को सशर्त सम्बद्धता आदेशों में इंगित कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालय एक माह में पूर्ण करने की सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों को निरन्तर पूरी कर रहा है।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
7. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा, अन्यथा अगले सत्र से छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
8. संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा।
9. संस्था शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत किये जाने वाले सशर्त आदेशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
10. संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।
11. संस्था परिसर को रैगिंग मुक्त रखेगी।
12. संस्था स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश/शासनादेशों में दी गई व्यवस्था/निर्देशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
13. महाविद्यालय की अस्थाई सम्बद्धता की संस्तुति इस शर्त के साथ की जाती है कि महाविद्यालय को दी जाने वाली सम्बद्धता में यदि कोई वैधानिक प्रक्रिया अथवा नियमों का उल्लंघन भविष्य में पायी जाती है तो सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी और उपरोक्त के सम्बन्ध में महाविद्यालय के विरुद्ध त्रिमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,


कुलसचिव

संस्थापक निदेशावली संख्या-2015/425 तदनुसार प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा उ०प्र०, इलाहाबाद/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. अधिष्ठाता, कला/वाणिज्य संकाय/परीक्षा नियंत्रक/उप कुलसचिव, परीक्षा सामान्य, दी०द०उ० गो०वि०, गोरखपुर।
4. उपकुलसचिव, कमेटी को इस आशय से प्रेषित कि माननीय कार्यपरिषद् के अनुमोदन हेतु इसे आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का कष्ट करे। कुलसचिव कार्यालय।
5. सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
6. माइ फाइल (सम्बद्धता)।

कुलसचिव

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
उप सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,
उ०प्र०, लखनऊ।

* शिक्षा अनुभाग-11

लखनऊ, दिनांक 06 सितम्बर, 2016

विषय- निजी संस्थान कमला पाण्डेय महाविद्यालय प्लॉट नं. 17, 19, बिलारी भीटा, भैंसहा, हरैया, जनपद-बस्ती को बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निजी संस्थान कमला पाण्डेय महाविद्यालय प्लॉट नं. 17, 19, बिलारी भीटा, भैंसहा, हरैया, जनपद-बस्ती को शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरांत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दी गयी मान्यता के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तों तथा विन्तलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से एक यूनिट (60 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जाती है-

- (1) संस्थान द्वारा लगातार प्रामाण्य एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।
- (2) जितने मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्थान द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्थान पर एन०सी०टी०ई० तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।
- (3) नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निरक्षण से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क अन्य कोई भी चार्ज परीक्षा की समय-सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
- (5) सम्बद्धता निर्गत होने के दो साल की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार विधिवत चयनित सहाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा। सहाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्थायी होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।
- (6) संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट के साथ हाइपरलिंक की जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख वेब-साइट पर किया जायेगा।
- (7) प्रस्तुत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 30.05.2016 से 03.06.2016 के कार्यवृत्त में की गई संस्तुति के आधार पर बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2016-17 से एक यूनिट (60 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपर्युक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन०सी०टी०ई० के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

अवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

संख्या- 1248 (1)/15-11-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आन्तरिक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, एस. भवन, 01 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली, पिन-110002
- 2- क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, चौथी मंजिल, जीवन निधि-II एल०आई०सी० बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर, राजस्थान, पिन-302005।
- 3- सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 4- प्राध्यापक, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बस्ती।
- 5- सचिव/प्रबन्धक, कमला पाण्डेय महाविद्यालय प्लॉट नं. 17, 19, बिलारी भीटा, भैंसहा, हरैया, जनपद-बस्ती।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।